



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59852

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 11267/2024

रजनीश शुक्ला

..... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य एवं अन्य

..... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : शिवम शुक्ला, सुशील कुमार शुक्ला

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए., राजेन्द्र कुमार सोनकर

न्यायालय संख्या - 53

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद

1. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना। अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह आपराधिक अपील विद्वान विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एकट, कानपुर नगर द्वारा सत्र वाद संख्या 1386 वर्ष 2023, राजनीश शुक्ला एवं अन्य बनाम राज्य, जो मुकदमा अपराध संख्या 123 वर्ष 2023 से उद्भूत है, में पारित संपूर्ण कार्यवाही, जिसमें दिनांक 26.09.2023 का संज्ञान आदेश तथा आरोप-पत्र भी सम्मिलित हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त वाद धारा 452, 504, 323 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(va); धारा 354 सहपठित धारा 3(2)(va) एस.सी./एस.टी. अधिनियम; धारा 354-B सहपठित धारा 3(2)(va) एस.सी./एस.टी. अधिनियम; धारा 376 सहपठित धारा 3(2)(v) एस.सी./एस.टी. अधिनियम; धारा 506 सहपठित धारा 3(2)(va) एस.सी./एस.टी. अधिनियम तथा एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धाराओं 3(1)(r), 3(1)(s) एवं 3(1)(w)(i), थाना हनुमंत विहार, दक्षिण कमिश्नरेट, जनपद कानपुर नगर से संबंधित है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को विचारण का सामना करने हेतु तलब किया तथा अगली तिथि 18.10.2023 नियत की।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी दर्ज किए जाने में पर्याप्त विलम्ब हुआ है। कथित घटना दिनांक 27.04.2023 को घटित होना बताया गया है, जबकि प्राथमिकी दिनांक 03.05.2023 को दर्ज की गई। यह प्रस्तुत किया गया कि प्राथमिकी विचार-विमर्श एवं सोच-विचार के उपरांत दर्ज कराई गई प्रतीत होती है। प्राथमिकी पंकज कुमार द्वारा गोलू मिश्रा, संदीप शुक्ला, राजनीश शुक्ला (पुनरीक्षणकर्ता) एवं सोनू पंडित के विरुद्ध दर्ज कराई गई है।

4. प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, सूचनाकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित है तथा परिवहन विभाग में चालक के पद पर कार्यरत है। दिनांक 27.04.2023 को लगभग रात्रि 9:40 बजे भोजन करने के पश्चात् सूचनाकर्ता अपने घर के बाहर बैठा था। उसी समय अभियुक्तगण, नामतः गोलू मिश्रा, संदीप शुक्ला, राजनीश शुक्ला/पुनरीक्षणकर्ता एवं सोनू पंडित, सड़क से गुजर रहे थे और उन्होंने कथित रूप से सूचनाकर्ता को उसकी माता एवं बहन के संबंध में अश्लील गालियाँ देते हुए जातिसूचक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया तथा उसे घर के भीतर रहने के लिए कहा। जब सूचनाकर्ता ने इसका विरोध किया, तो अभियुक्तगण कथित रूप से उसे मारने के लिए उसकी ओर दौड़े। तत्पश्चात् सूचनाकर्ता अपने घर के भीतर भाग गया और अभियुक्तगण भी घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करने लगे।

5. आगे आरोप लगाया गया है कि जब सूचनाकर्ता की पत्नी अर्चना तथा उसकी साली राधा उसे बचाने के लिए बीच-बचाव करने लगीं, तो अभियुक्तगण ने राधा के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। यह भी आरोप है कि संदीप ने उसके हाथ पर प्रहार किया तथा राजनीश ने उसका ब्लाउज फाड़ दिया और उसके साथ अश्लील हरकत की। सूचनाकर्ता के हाथों में चोटें आईं, जबकि राधा के बाएं हाथ में चोट आई। अभियुक्तगण ने कथित रूप से सूचनाकर्ता एवं उसके परिवार को जातिसूचक गालियाँ देते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी तथा यह कहा कि यदि वे अपनी औकात में नहीं रहेंगे तो उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा। सूचनाकर्ता के अनुसार, अभियुक्तगण के कृत्यों से मोहल्ले में आतंक व्याप्त हो गया और लोग उसके समर्थन में आगे आने को तैयार नहीं थे। सूचनाकर्ता एवं उसके परिवार के सदस्यों को कथित रूप से जान से मारने की धमकी भी दी गई।

6. यह भी कथित है कि सूचनाकर्ता ने 112 नंबर डायल किया, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और अभियुक्तगण अपने-अपने घरों की ओर भाग गए। पुलिस के वहां से चले जाने के बाद

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्तगण ने कथित रूप से फोन द्वारा 10-12 व्यक्तियों को बुलाया और पुनः सूचनाकर्ता एवं उसके परिवार के सदस्यों को धमकी दी। सूचनाकर्ता ने अपनी जान को खतरा होने की आशंका व्यक्त की है। सूचनाकर्ता ने आगे बताया है कि उसने अपने तथा राधा के लिए अर्जुन काशीराम अस्पताल में चिकित्सकीय उपचार कराया। उसके अनुसार, यद्यपि पुलिस क्षेत्र में आई थी, तथापि उस समय प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तथा अभियुक्तगण द्वारा सूचनाकर्ता एवं उसके परिवार के सदस्यों पर समझौता करने के लिए निरंतर दबाव बनाया जाता रहा और समझौता न करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती रही।

7. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि कथित घटना किसी सार्वजनिक स्थान पर घटित नहीं हुई थी और इसलिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उपबंध आकर्षित नहीं होते हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना घर के भीतर घटित हुई थी, न कि किसी सार्वजनिक स्थान पर। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों के मध्य शत्रुता होना स्वीकार किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभिलिखित कथनों में गंभीर विरोधाभासों की ओर भी संकेत किया है तथा प्रस्तुत किया है कि आरोप-पत्र किसी ठोस साक्ष्य के बिना दाखिल किया गया है। उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हितेश वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य**, आपराधिक अपील संख्या 707 वर्ष 2020 में पारित निर्णय पर भरोसा किया है तथा विशेष रूप से उसके प्रस्तर 14 का उल्लेख किया है, जो निम्नवत् है:-

“इस उपबंध का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व ‘किसी ऐसे स्थान पर, जो लोक दृष्टि में हो’ में अपमानित अथवा भयभीत करना है। ‘लोक दृष्टि में स्थान’ के रूप में किसे माना जाए, यह प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष स्वरन सिंह एवं अन्य बनाम राज्य जरिए स्थायी अधिवक्ता एवं अन्य में विचाराधीन था। न्यायालय ने ‘सार्वजनिक स्थान’ तथा ‘किसी ऐसे स्थान पर, जो लोक दृष्टि में हो’ अभिव्यक्तियों के मध्य अंतर किया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि कोई अपराध किसी भवन के बाहर, उदाहरणार्थ किसी घर के बाहर स्थित लॉन में किया जाता है और वह लॉन बाहर की सड़क या गली से चारदीवारी के बाहर से किसी व्यक्ति को दिखाई देता है, तो वह लॉन निश्चित रूप से लोक दृष्टि में स्थान होगा। इसके विपरीत, यदि कोई टिप्पणी किसी भवन के भीतर की जाती है, लेकिन वहां जनता के कुछ सदस्य उपस्थित हों (केवल रिश्तेदार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अथवा मित्र नहीं), तो यह अपराध नहीं होगा, क्योंकि वह लोक दृष्टि में नहीं है। न्यायालय ने निम्नवत् अभिनिर्धारित किया है:-

‘28. प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि प्रथम सूचनाकर्ता विनोद नगर को अपीलकर्ता संख्या 2 एवं 3 द्वारा उस समय अपमानित किया गया, जब वह परिसर के द्वार पर खड़ी कार के पास खड़ा था और उसे ‘चमार’ कहकर संबोधित किया गया। हमारे मत में, यह निश्चित रूप से लोक दृष्टि में स्थान था, क्योंकि किसी घर का द्वार निश्चित रूप से लोक दृष्टि में स्थान होता है। यदि कथित अपराध किसी भवन के भीतर किया गया होता और वह लोक दृष्टि में भी नहीं होता, तो स्थिति भिन्न हो सकती थी। किंतु यदि अपराध भवन के बाहर, उदाहरणार्थ घर के बाहर स्थित लॉन में किया जाता है और वह लॉन चारदीवारी के बाहर सड़क अथवा गली से किसी व्यक्ति को दिखाई देता है, तो वह लॉन निश्चित रूप से लोक दृष्टि में स्थान होगा। इसी प्रकार, यदि टिप्पणी किसी भवन के भीतर की जाती है, किंतु वहां जनता के कुछ सदस्य उपस्थित हों (केवल रिश्तेदार अथवा मित्र नहीं), तो ऐसी स्थिति में भी यह अपराध होगा, क्योंकि वह लोक दृष्टि में है। अतः हमें ‘लोक दृष्टि में स्थान’ अभिव्यक्ति को ‘सार्वजनिक स्थान’ अभिव्यक्ति के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। कोई स्थान निजी हो सकता है, फिर भी वह लोक दृष्टि में हो सकता है। इसके विपरीत, सार्वजनिक स्थान का सामान्यतः तात्पर्य ऐसे स्थान से होगा, जो सरकार अथवा नगरपालिका (या किसी अन्य स्थानीय निकाय) अथवा ग्राम सभा अथवा राज्य के किसी उपक्रम के स्वामित्व अथवा पट्टे पर हो, न कि निजी व्यक्तियों अथवा निजी निकायों के स्वामित्व में।”

8. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घायल व्यक्तियों को आई चोटें साधारण प्रकृति की हैं। अर्चना को बाएं कलाई के जोड़ तथा शरीर के निचले भाग पर केवल दो खरोंचें आई होना बताया गया है, जबकि राधा के संबंध में केवल पेट में दर्द पाया गया है। सूचनाकर्ता पंकज कुमार को बाईं ओर गर्दन तथा कलाई के जोड़ पर दो नीलगू चोटें आना बताया गया है।

9. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि सूचनाकर्ता ने प्राथमिकी में कभी यह आरोप नहीं लगाया कि उसकी भाभी, जो कथित पीड़िता है, के साथ बलात्कार किया गया था। इसी प्रकार, अर्चना, जो सूचनाकर्ता की पत्नी है, ने भी यह आरोप नहीं लगाया है कि अपीलकर्ता ने उसकी जेठानी के साथ बलात्कार किया। यहां तक कि पीड़िता ने भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभिलिखित अपने प्रारंभिक कथन में अपीलकर्ता के विरुद्ध बलात्कार के किसी आरोप का समर्थन नहीं किया था।

10. यह प्रस्तुत किया गया है कि लगभग 25 वर्ष की आयु की विवाहित महिला पीड़िता ने पहली बार धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभिलिखित अपने कथन में यह कहा कि अपीलकर्ता ने उसकी निजी अंग में अपनी उंगली डाल दी थी। जब उससे विशेष रूप से पूछा गया कि उसने इस तथ्य को पूर्व में पुलिस को क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा कि यह उसकी गलती थी। उसने आगे बताया कि घटना के समय उसका देवर एवं देवरानी मौके पर उपस्थित थे। उसका देवर सूचनाकर्ता है तथा उसकी देवरानी अर्चना है, दोनों को चोटें आई थीं और वे वहां उपस्थित थे। जब उससे पूछा गया कि सूचनाकर्ता ने प्राथमिकी में इस तथ्य का उल्लेख क्यों नहीं किया, तो उसने उत्तर दिया कि संभवतः उसे इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि चोट लगने के पश्चात् वह उसके पास लेटा हुआ था।

11. अंत में, अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि पीड़िता के कथन में पर्याप्त सुधार किया गया है। न तो सूचनाकर्ता और न ही किसी घायल व्यक्ति ने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभिलिखित अपने कथनों में बलात्कार के आरोप का उल्लेख किया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्राथमिकी लगभग सात दिनों के विलम्ब से दर्ज की गई तथा बाद में बलात्कार का आरोप जोड़ा गया।

12. इसके विपरीत, विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान आपराधिक अपील का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर समुचित विचार करने के पश्चात् आक्षेपित आदेश पारित किया है तथा उसमें कोई अवैधानिकता, त्रुटि अथवा विकृति नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा संज्ञान आदेश तथा उसके परिणामस्वरूप कार्यवाही विधि-सम्मत रूप से प्रारंभ की गई है। अतः इस न्यायालय द्वारा वर्तमान अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 443 वर्ष 2022, धारा 323, 354, 504, 294 भा.दं.सं. तथा मुकदमा अपराध संख्या 811 वर्ष 2017, धारा 354, 323, 504, 506 भा.दं.सं. एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के अधीन दो प्राथमिकी दर्ज हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक आपराधिक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाना है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है। यह स्वीकार किया गया है कि पक्षकारों के मध्य शत्रुता विद्यमान है। धारा 376 भा.दं.सं. के अधीन बलात्कार का आरोप भी लगाया गया है, जो गंभीर एवं जघन्य अपराध है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) भी आरोपित की गई है।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सुजॉय घोष बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, 2026 आईएससी 267** में अपने निर्णय के प्रस्तर 13 एवं 14 में निम्नवत् प्रतिपादित किया है:-

“13. आपराधिक मामले में अभियुक्त को तलब किए जाने तथा आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किए जाने के मापदंडों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत सुस्थापित हैं। किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त को तलब किया जाना एक गंभीर विषय है और आपराधिक विधि को सामान्य प्रक्रिया के रूप में सक्रिय नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि परिवादी को अपनी शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में केवल दो साक्षी प्रस्तुत करने होते हैं, जिससे आपराधिक विधि सक्रिय हो जाए। मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को तलब करने संबंधी आदेश में मामले के तथ्यों तथा उस पर लागू विधि के प्रति न्यायिक मस्तिष्क के प्रयोग का प्रतिबिंब होना चाहिए। मजिस्ट्रेट को अभिलेख पर लाई गई साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनता है अथवा नहीं। मजिस्ट्रेट परिवादी एवं उसके साक्षियों से स्वयं भी प्रश्न कर सकता है, ताकि आरोपों की सत्यता अथवा असत्यता का पता लगाने के लिए उनके उत्तर प्राप्त किए जा सकें और तत्पश्चात् यह विचार किया जा सके कि सभी अथवा किसी अभियुक्त द्वारा प्रथम दृष्टया कोई अपराध किया गया है अथवा नहीं। (देखें- पेप्सी फूड्स लि0 एवं अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य, (1998) 5 एससीसी 749; विकास चन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1534)

14. जब कोई अभियुक्त इस आधार पर प्राथमिकी अथवा आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की मांग करता है कि ऐसी कार्यवाही प्रथम दृष्टया पूरी तरह निराधार, उत्पीड़नकारी अथवा दुर्भावनापूर्ण है, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मामले की अधिक सावधानीपूर्वक जांच करे। यह निर्धारित करने के लिए कि कथित अपराध के गठन हेतु आवश्यक तत्व प्रकट होते हैं अथवा नहीं, न्यायालय के लिए केवल प्राथमिकी/परिवाद में किए गए कथनों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को देखना ही पर्याप्त नहीं होगा। निराधार अथवा उत्पीड़नकारी कार्यवाही के मामलों में न्यायालय का यह दायित्व है कि वह कथनों के अतिरिक्त मामले के अभिलेख से उभरने वाली अन्य परिस्थितियों पर भी विचार करे और आवश्यकता पड़ने पर समुचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ मामले की गहराई में जाकर तथ्यों का परीक्षण करे। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपने अधिकारिता का प्रयोग करते समय न्यायालय को स्वयं को केवल मामले के एक चरण तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह मामले के प्रारंभ होने/प्राथमिकी के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी समग्र परिस्थितियों के साथ-साथ विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री को भी ध्यान में रख सकता है। (मोहम्मद वाजिद एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य, (2023) 20 एससीसी 219 देखें।)”

15. वर्तमान मामले में घटना का मूल कारण यह है कि सूचनाकर्ता भोजन करने के पश्चात् अपने घर के बाहर बैठा था, तभी अभियुक्तगण सड़क से गुजरते हुए कथित रूप से उसे गाली देने लगे। विरोध किए जाने पर अभियुक्तगण ने कथित रूप से उसके साथ मारपीट करने का प्रयास किया, जिस पर सूचनाकर्ता अपने घर के भीतर भाग गया और अभियुक्तगण भी उसका पीछा करते हुए घर के भीतर घुस गए तथा उसके साथ मारपीट करने लगे। अतः मारपीट की कथित घटना तथा उसके पश्चात् की घटनाएं घर के परिसर के भीतर घटित होना बताया गया है।

16. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत, प्रथम दृष्ट्या, धारा 376 भा.दं.सं. तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के आवश्यक तत्व अपीलकर्ता के विरुद्ध स्थापित होते प्रतीत नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्राथमिकी के कथनों तथा सूचनाकर्ता, पीड़िता एवं घायल व्यक्तियों के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभिलिखित कथनों में गंभीर विरोधाभास प्रतीत होते हैं। पीड़िता ने धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभिलिखित अपने कथन में अपने पूर्ववर्ती कथन, सूचनाकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी की विषयवस्तु तथा घायल व्यक्तियों के कथनों के विपरीत अपने कथन में पर्याप्त सुधार किया प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, प्राथमिकी लगभग सात दिनों के विलम्ब से दर्ज की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17. मामले के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 376 भा.दं.सं. तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के अधीन कोई अपराध नहीं बनता है।

18. तदनुसार, धारा 376 भा.दं.सं. तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के अधीन अपीलकर्ता को तलब किया जाना एतद्वारा निरस्त किया जाता है। आपराधिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

19. तथापि, विद्वान विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्र होगा कि वह शेष अपराधों के संबंध में विधि अनुसार अपीलकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही आगे बढ़ाए।

(न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद)

23 मार्च, 2026

एम. तारिक